

मंवरसिंह vs नारायणसिंह 21/19

7-20

वकुलम उपर अर्थात् जज के हुक्म तलबना पर
करने हेतु दिनांक 24.5.19 से लगातार अवसर
दिये गये हैं। अतः तलबना दि. 4.6.20 को
अन्तिम अवसर दिया गया है परन्तु वकील प्राधी
नेरा अर्थात् लड़कियों को पालना
नहीं की है। वकील प्राधी ने विवेक पर लड़
लड़कियों को 50/2 कोर्ट पर दिया जाता है
प्राधी दिनांक: 17/8/20 के पर है।

[Signature]
सहायक जज (एस.डी.ओ.)
जयपुर, जिला नागौर

17/8/20 :- वकील प्राधी उपर वकील प्राधी को दिनांक
9/6/20 तरीख पर अन्तिम अवसर, दिनांक 8/8/20
को 50/2 रु कोर्ट अर्थात् पर अन्तिम अवसर
अर्थात् जज की तलबी हेतु प्रदत्त किये जाने
पर भी अर्थात् जज की तलबी आये जाने
में वकील प्राधी अक्षर्य रहे। अतः प्रकरण हाज
साबित अर्थात् की पालना न किये जाने पर
अन्तिम तलबील में प्रारिज किया जाता है।
प्राधी अर्थात् नम्बर से अक्षर्य दाखिल
रहता है।

[Signature]
सहायक जज (एस.डी.ओ.)
जयपुर, जिला नागौर